UPKU010039852026

न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर स्थान पडरौना।
उपस्थित– संजीव कुमार त्यागी, एच.जे.एस.–Id. No. UP2018
प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 1107/2026

इन्नल उर्फ इन्दल बउम्र 23 वर्ष पुत्र मुन्ना मुसहर, साकिन– नरकहवां छोटका टोला, थाना– हनुमानगंज, जिला– कुशीनगर।

.........अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० राज्य .... विपक्षी

मु०अप०सं०–73/2026,
धारा–137(2),87 बी०एन०एस०
थाना– हनुमानगंज,
जिला–कुशीनगर।

<u>जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण</u>

1–यह जमानत प्रार्थना–पत्र अभियुक्त इन्नल उर्फ इन्दल की ओर से उपरोक्त मामले में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 03–05–2026 को वादिनी मुकदमा कमलावती देवी द्वारा थाना हनुमानगंज में इस आशय की लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 01–05–2026 को समय 7 बजे उसकी पुत्री सवारी उम्र 16 वर्ष को उसके ही गांव के निवासी इन्दल बहला फुसलाकर भगा ले गया। उसने उसकी काफी खोजबीन किया लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। तदनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गयी।

3–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कहा है अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। अभियोजन पक्ष की कहानी फर्जी व बनावटी है। प्रथम यूचना रिपोर्ट दो दिन विलम्ब से दर्ज कराई गई है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। घटना का कोई साक्षी नहीं है। वास्तविकता यह है कि गंवई रंजिश के चलते अभियुक्त को गलत तरीके से स्थानीय पुलिस के सहयोग से एक कपोलकल्पित घटना बनाते हुए अभियुक्त को फंसाया गया है। अभियुक्त के पिता का स्वर्गवास हो गया है। वह अपनी 80 वर्षीय बेवा माता का भरण पोषण करता है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त दिनांक 05–05–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त जमानत मुचलका दाखिल करने को तैयार है। तदनुसार जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई।

4–विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी ने बहस में कहा है कि अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया गया। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गई।

5– मैने प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6– प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप है कि उसके द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया गया। मुख्य चिकित्साधिकारी कुशीनगर द्वारा पीड़िता की उम्र के संबंध में कराए गए परीक्षण में उसकी उम्र 22 वर्ष पाई गई है। पीड़िता सांवरी ने अपने धारा 183 बी.एन.एस.एस./164 दं०प्र०सं० के बयान में मुख्य रूप से यह कहा है कि इन्दल उसके गांव का है। वह इन्दल से साल भर से बात कर रही थी। वह इन्दल को रोड पर बुलाकर उसके साथ उसके मामा के घर चली गई। वहीं रात भर रूकी थी। दोनों के बीच संबंध नहीं बना था। वह अपनी मम्मी से गुस्सा होकर चली गई थी बाद में इन्दल के साथ वापस आ गई। इससे स्पष्ट है कि मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत होता है। अभियुक्त दिनांक 05–05–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास होना नहीं बताया गया है। उक्त दिये गये कारणों के मद्देनजर अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का पर्याप्त आधार पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त इन्नल उर्फ इन्दल द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु०–1,00,000/–रूपये के दो प्रतिभू व समान धनराशि का निजी मुचलका सम्बन्धित विद्वान मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि पर निष्पादित करने पर निम्न शर्तों के तहत जमानत पर रिहा किया जायः–

1– अभियुक्त साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

2– अभियुक्त प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिग्य किसी व्यक्ति का कोई उत्पीड़न, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या विवेचक के समक्ष प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।

3– अभियुक्त आरोप पत्र दाखिल होने की स्थिति में आरोप व धारा 351 बी.एन.एस.एस. के स्तर पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

दिनांकः**02.07.2026**
R.P.Shukla

(संजीव कुमार त्यागी)
सत्र न्यायाधीश,
कुशीनगर, स्थान–पडरौना।

Digitally signed by SANJEEV KUMAR TYAGI
Date: 2026.07.02 15:58:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court